फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

कौरसिंह पुत्र हरबन्स जाति जटसिख निवासी चक 110 आरडीएल हाल अचड़की, मौजगढ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब

बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमाः–धारा 136 भूराजस्व अधिनियम

प्रकरण संख्याः–40/2024

JCMS:- 2024/98

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.2025	आज यह पत्रावली रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ से प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीया हाजिर। बहस सुनी गई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 110 आरडीएल खाता नं0 103 प0न0 148/2 कि0न0 16/1/0.143 है0, 17/1/0.068 है0, 24,25/0.506 है0 = 0.717 है0, प0न0 148/3 कि0न0 4,5,8/0.759 है0, प0न0 148/10 कि0न0 13/1/0.103 है0, 14/1/0.173 है0, 15/1/0.233 है0, 16 ता 18/0.759 है0, 19/1/0.233 है0, 20/1/0.213 है0, 21,22/0.506 है0 = 2.220 है0 कुल 3.696 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 चक 110 आरडीएल खाता नं0 103 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न पत्रावली हैं। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम केहर सिंह पुत्र हरबन्स दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम कौर सिंह पुत्र हरबन्स है। प्रार्थी द्वारा जैर प्रार्थना पत्र रकबा जरिये बैयनामा श्री चन्दूराम पुत्र श्री कुन्दनलाल से से खरीद शुदा था। वरवक्त बैयनामा उक्त रकबा रोही खारीया में था। बैयनामा में प्रार्थी का नाम कौर सिंह अंकित है। प्रार्थी के पहचान के दस्तावेज वोटरकार्ड, आधारकार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम कौर सिंह अंकित हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम केहर सिंह व पहचान के दस्तावेजो में नाम कौर सिंह दर्ज होने के कारण प्रार्थी सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पा रहा है एवं फसल नष्ट होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री कृषक पैन्शन योजना के लाभ से भी प्रार्थी वंचित हो रहा है। कृषि सुधार हेतु बैंक से ऋण लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। सही नाम हेतु शपथ पत्र देना पड़ता है। जिससे प्रार्थी को आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। केहर सिंह व कौर सिंह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। मात्र लिपीकीय त्रुटि के कारण सहब से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में कौर सिंह के स्थान पर केहर सिंह अंकित हो गया है। केहर सिंह नाम का कोई भी व्यक्ति चक 110 आरडीएल एवं ग्राम अचड़की में निवास नही करता है। कौर सिंह व केहर सिंह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं के समर्थन में सरप्रच ग्राम पंचायत, अचड़की का प्रमाण पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र है। भविष्य में कौर सिंह व केहर सिंह दोनो नामो की बाबत कोई विवाद पाया जाता हैं तो उसकी समस्त जिम्मेवारी मेरी होगी। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा भी नाम दुरूस्ती की अनुशषां की गई हैं। प्रार्थी के सहखातेदार मनप्रीत कौर पुत्री गुरनायब सिंह, बादलसिंह पुत्र गुरनायब सिंह, कर्मजीत कौर पत्नी गुरनायबसिंह ने स्वयं हाजिर होकर जरिये शपथ पत्र प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की सहमति प्रदान की हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व रिपोर्ट तहसीलदार का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बैयनामा, जमाबन्दी, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, पहचान के दस्तावेज, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पूर्ण जांच करने के पश्चात् अपने द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने की अनुशषां की हैं एवं सहखातेदारो मनप्रीत कौर पुत्री गुरनायब सिंह, बादलसिंह पुत्र गुरनायब सिंह, कर्मजीत कौर पत्नी गुरनायबसिंह द्वारा भी कौरसिंह व केहरसिंह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं, एवं नाम दुरूस्त करने हेतु शपथ पत्र दिनांक 20.12.2024 को पेश किये हैं। अतः सहखातेदारो के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं तहसीलदार सूरतगढ की अनुशषां के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायहित में स्वीकार करना उचित समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेा दिया जाता हैं कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 110 आरडीएल खाता नं0 103 प0न0 148/2 कि0न0 16/1/0.143 है0, 17/1/0.068 है0, 24,25/0.506 है0 = 0.717 है0, प0न0 148/3 कि0न0 4,5,8/0.759 है0, प0न0 148/10 कि0न0 13/1/0.103 है0, 14/1/0.173 है0, 15/1/0.233 है0, 16 ता 18/0.759 है0, 19/1/0.233 है0, 20/1/0.213 है0, 21,22/0.506 है0 = 2.220 है0 कुल 3.696 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम केहर सिंह पुत्र हरबन्स के स्थान पर कौर सिंह पुत्र हरबन्स दर्ज किया जावें। जमाबन्दी के शेष समस्त अंकन यथावत रखे जावें। तहसीलदार सूरतगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर फरमाई जावें। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:21:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ